



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261438  
CG-DL-E-03032025-261438

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1068]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2025/फाल्गुन 12, 1946

No. 1068]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2025/PHALGUNA 12, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2025

का.आ. 1076(अ).— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 17.09.2024 की गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3955 (अ) में, इस अधिसूचना के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या (ख) (i) और (ii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और प्रविष्टि इस प्रकार होगी:

(i) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

विधानसभा सदस्य, नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र

- (ii) श्री विरेन्द्र सिंह कादियान  
विधानसभा सदस्य, दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र

[फा. सं. 14011/19/2024-दिल्ली-II]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) में 17 सितंबर, 2024 की संख्या का. आ. 3955 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और बाद में संख्या का. आ. 4793 (अ), दिनांक 5 नवंबर, 2024 और का. आ. सं.426(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2025 के माध्यम से संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2025

**S.O. 1076(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. S.O.3955(E), dated the 17.09.2024 issued by this Ministry, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in clause (b), for the items number (i) and (ii) the entries relating thereto, the following items number and entry shall be substituted, namely:-

- (i) Shri Parvesh Sahib Singh Verma  
Member of Legislative Assembly, New Delhi Constituency;
- (ii) Shri Virender Singh Kadian  
Member of Legislative Assembly, Delhi Cantonment Constituency

[F. No. 14011/19/2024-Delhi-II]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.3955(E), dated the 17<sup>th</sup> September, 2024 and subsequently amended vide number S.O.4793(E), dated the 5<sup>th</sup> November, 2024 and S.O. 426(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2025.